झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा प्रभाग)

आदेश

संचिका संख्या–3 / यो01–35 / 2024 (उ0शि0) 110 / बजट / दिनांक 01/08/2025

राज्य में उच्च शिक्षा के गुणात्मक सुधार लाने एवं उसके सर्वांगीण विकास के लिए राज्य सरकार दृढ़संकल्पित है। वर्तमान में झारखण्ड का सकल नामांकन अनुपात 18.6 है जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 28.4 है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार सभी उच्चतर शिक्षण संस्थानों को बहुविषयक (Multi-disciplinary) के रूप में विकसित किया जाना है तथा सकल नामांकन अनुपात (GER) को वर्ष 2035 तक 50 प्रतिशत का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उक्त के आलोक में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 243 / बजट दिनांक 14.10.2024 के द्वारा मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त करते हुये कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा अंतर्गत पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी में डिग्री महाविद्यालय के स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. डिग्री महाविद्यालय, मुसाबनी के निर्माण हेतु पूर्व में उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के पत्रांक 1027 / रा0 दिनांक 29.08.2024 के द्वारा पूर्वी सिंहभूम जिलान्तर्गत मुसाबनी अंचल के मौजा–धोबनी, थाना संख्या–1096, खाता संख्या–472, प्लॉट नं0– 11 कुल रकवा–42.30 में से 12.30 एकड़ भूमि किस्म– पु0प0का0आ0 (अनाबाद बिहार / झारखण्ड सरकार) को डिग्री महाविद्यालय, मुसाबनी, पूर्वी सिंहभूम के निर्माण हेतु चिन्हित किया गया था।

3. उपर्युक्त कंडिका–2 में वर्णित भूमि के उपयुक्त नहीं होने के कारण उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के पत्रांक 1245 / रा0 दिनांक 06.06.2025 के द्वारा डिग्री महाविद्यालय, मुसाबनी के निर्माण हेतु मुसाबनी अंचल के मौजा – बादिया मे उपयुक्त भूमि का चयन करते हुये पुनः उपलब्ध कराया गया है। उक्त चिन्हित भूमि का दिनांक–18.07.2025 को अपर सचिव–सह– निदेशक, तकनीकी शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा संयुक्त भौतिक निरीक्षण किया गया एवं चिन्हित भूमि को डिग्री महाविद्यालय, मुसाबनी के निर्माण हेतु उपयुक्त पाया गया।

4. अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में डिग्री महाविद्यालय, मुसाबनी के निर्माण हेतु चिन्हित भूमि में निम्न्वत संशोधन किया जाता है–

कमांक	जिला का नाम	पूर्व मे चिन्हित भूमि	संशोधित भूमि जहाँ डिग्री महाविद्यालय, मुसाबनी का निर्माण किया जाना है।
1	पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर	मुसाबनी अंचल के मौजा–धोबनी, थाना संख्या– 1096, खाता संख्या–472, प्लॉट नं0– 11 कुल रकवा–42.30 में से 12.30 एकड़ भूमि किस्म– पु0प0का0आ0 (अनाबाद बिहार / झारखण्ड सरकार)	मुसाबनी अंचल के मौजा – बादिया, थाना नं० – 166, खाता नं० 1133, प्लाट नं० 40 (अंश), रकबा– 11.00 एकड़, किस्म– पुरानी परती (अनाबाद बिहार सरकार)

5. उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को निदेश दिया जाता है कि डिग्री महाविद्यालय, मुसाबनी के निर्माण हेतु मुसाबनी अंचल के मौजा– बादिया में नवचिन्हित भूमि का अन्तर्विभागीय निःशुल्क हस्तांतरण किया जाय।

6. झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, रॉची को निदेश दिया जाता है कंडिका–4 में वर्णित संशोधित भूमि पर डिग्री महाविद्यालय, मुसाबनी का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाय।

7. प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का आदेश प्राप्त है।

01.08.25
(सुधीर बाड़ा)
निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक–3/यो01–35/2024(उ0शि0) 110/1958/ रॉची, दिनांक– 01/08/2025

प्रतिलिपि – महालेखाकार का कार्यालय, झारखण्ड, रॉची/उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, चाईबासा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

01.08.25

(सुधीर बाड़ा)
निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक–3/यो01–35/2024(उ0शि0) 110/1958/ रॉची, दिनांक– 01/08/2025

प्रतिलिपि – माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/ विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, रॉची/ कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, रॉची /निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव/कुलसचिव, कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा /उपनिदेशक, उच्च शिक्षा/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (उच्च शिक्षा)/ लेखा शाखा, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित तथा नोडल पदाधिकारी को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

01.08.25

(सुधीर बाड़ा)
निदेशक, उच्च शिक्षा।